



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2628 /2026

दीपक

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

: सिद्धार्थ निरंजन

प्रतिवादी अधिवक्ता

: जी.ए.,

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ निरंजन, राज्य के अधिवक्ता श्री वी.के.एस. परमार और अधिवक्ता ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 195/2025 (सत्र परीक्षण संख्या 191/2025), धारा 103(1)/3(5) बी.एन.एस., थाना-कोतवाली कोंच, जिला-जालौन में मुकदमा लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका इस अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसका नाम सिर्फ सूचना देने वाले के शक के आधार पर और बाद में सह-आरोपी पल्लवी के कबूलनामे में आया है, जिसकी कानून की नज़र में कोई सबूत वाली महत्व नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदक 14.9.2025 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।
6. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया है।
7. "जब तक दोषी साबित न हो जाए, तब तक बेगुनाही का अंदाज़ा" का प्रसिद्ध सिद्धांत, नियम के तौर पर जमानत और अपवाद के तौर पर जमानत की अवधारणा को जन्म देता है।
8. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी सिर्फ इसलिए नहीं ली जा सकती क्योंकि उस व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप है, जब तक कि अपराध साबित होने में कोई शक न हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी की जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कानून द्वारा तय प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और प्रक्रिया सही और तर्कसंगत होनी चाहिए। इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में दोहराया है।
9. ऊपर कही गई बात को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आईएनएससी 595** के मामले में फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून का यह बहुत अच्छी तरह से तय सिद्धांत कि सज़ा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जा सकती, उसे नहीं भूलना चाहिए। अब समय आ गया है कि कोर्ट इस सिद्धांत को मानें कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।
10. ए.जी.ए./राज्य विधि अधिकारी ऐसी कोई खास परिस्थिति नहीं बता सके जिससे आवेदक को जमानत देने से मना किया जा सके।
11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसे केवल संदेह और सह-आरोपी व्यक्ति के इकबालिया बयान के आधार पर मामले में नामित किया गया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, पहली नज़र में, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत अर्जी **मंज़ूर** की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. आवेदक- दीपक, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

9. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

27 जनवरी, 2026

(विकास वर्मा)